[illegible]

18/1/25

प्रार्थनी द्वारा, वर्तमान वादी उपस्थित नहीं करते
आगामी लगाकर बाद भी न दे, वर्तमान वादी गंभीर
अपराध का दोषी पाये हजार रु. वादव्यय के
अदायगी अदालत की जाकर किया जाता है
प्रार्थनी श्रीमान कुमार द्वारा अधिवक्ता उपस्थित प्रस्तुत है।

Scanned with CamScanner